असंशोधित

10 JUL 2000

बिहार विधान-सभा वादवृत्त

सरकारी प्रतिवेदन

(भाग १—कार्यवाही—प्रश्नोत्तर)

बि० स० मु० (एल० ए०) 115—मोनो—500—10-3-2000—

तारांकित प्रश्न संख्या- "ग" 509 का पूरक क्रमशः

अध्यक्ष : आप बैठिए वर्मा जी ।

श्री महेन्द्र प्रसाद सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम सरकार से यह जानना चाहता हूं कि काराओं की क्षमता से कई गुना अधि के रहने के कारण, क्षमता से कम कारापालों, आरक्षियों के रहने के कारण कैदियों का पलायन हो रहा है ?

अध्यक्ष : इन्होंने अपने उत्तर में दिया है कि ग्यारहवें वित्त आयोग को भी इन्होंने अनुशंसा की है ।

श्री महेन्द्र प्रसाद सिंह : अध्यक्षमहोदय, काराओं में क्षमता से अधिक बंदियों के रहने की वजह से और क्षमता से कम आरक्षी बलों, सहायक कारापालों के रहने की वजह से ही बंदियों का पलायन हो रहा है ?

श्री पसावन(भगत)(मंत्री): अध्यक्ष महोदय, ऐसी बातनहीं है । क्षमता से अधिक का कहां सवाल है ?

अध्यक्ष : अब छोड़ दीजिए । अब दूसरा प्रश्न होने दीजिए ।

तारांकित प्रश्न संख्या- 1062

श्री जगदानंद सिंह(मंत्री): अध्यक्ष महोदय, खण्ड-1) उत्तर स्वीकारात्मक है ।

दिनांक 22.6.2000 को राजधानी के एक तीन सितारा होटल में एम०सी०सी० की एक बैठक होने की सूचना सरकार को प्राप्त नहीं हुई है ।

खण्ड-2) उत्तर अस्वीकारात्मक है । सरकार को ऐसी कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई ।

..../-

खण्ड-3ई सरकार ने एम०सी०सी० को नियंत्रित करने के लिए अनेक कदम उठाये हैं, वामपंथी उग्रवादी संगठन एम०सी०सी० को सरकार ने अधिसूचना संख्या एस०ओ० 477 दिनांक 3.6.87 द्वारा एक प्रतिबंधित संगठन घोषित कियाहै और उसकी गतिविधियों पर कड़ी नजर रख रही है । उग्रवाद प्रभावित जिलों में निर्भीक एवं कारगर जिला दंडाधिकारियों एवं आरक्षी अधीक्षकों को पदस्थापित किया गयाहै ।

2. नरसंहार के मामलों में जिला से लेकर थाना स्तर तक के पदाधिकारियों पर दायित्व निर्धारित कर ऐसे कांडों को रोकने में विफल होने की स्थिति में उनके विरुद्ध कड़ी अनुशासनिक कार्रवाई की जायेगी।

3. जिला दंडाधिकारियों एवं आरक्षी अधीक्षकों को उग्रवादियों एवं कुख्यात अपराधियों के विरुद्ध राष्ट्रीय सुरक्षाअधिनियम/अपराध नियंत्रण अधिनियम के अन्तर्गत कार्रवई करने का निर्देश दियागया है । प्रमंडलीय आयुक्तों को उक्त अधिनियमों के प्रावधानों का उपयोग कर कुख्यात अपराधकर्मियों के विरुद्ध कार्रवाई की समीक्षा एवं अनुश्रवण करने का दायित्व दियागया है ।

4. संवेदनशील गांव, जहां उग्रवादियों या भूमिपतियों के निजी सेनाओं द्वारा हमला किये जाने की आशंका है, वहां उसी गांव के नये गृह रक्षकों का नामांकन कर और उन्हें प्रशिक्षित कर सशस्त्र होमगार्ड की दल की सहायता के लिये, स्थानीय चौकीदार, ग्राम रक्षा दल एवं ग्रामीणों को मिला कर मिश्रित दल गांव सुरक्षा के लिये बनाने का निर्णय लियागया है ताकि वे उग्रवादियों एवं निजी सेनाओं से अपनी रक्षा कर सकें । गांव में गठित सशस्त्र होमगार्ड दल निकटतम पिकेट/चौकी/थाना के नियंत्रण में एवं पर्यवेक्षण में कार्य करेंगे ।

5. कमजोर वर्ग के लोग अगर आग्नेयास्त्र अनुज्ञप्ति लेना चाहें तो उनके आवेदन की जांच प्राथमिकता के आधार पर कर उनके आवेदन को 15 दिनों के अंदर निष्पादित कर दिया जायेगा ।

6. जिला दंडाधिकारियों को यह निर्देश दिया जा रहा है कि शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों के शस्त्र की औचक जांच करायें ताकि यह जांच हो सके कि अनुज्ञप्त शस्त्रों का दुरूपयोग नहीं हो रहा है । जिन अनुज्ञप्तिधारियों के विरूद्ध अपराधिक दंड दर्ज हो या जिनके विरूद्ध अपराधिक कांड में संलिप्त होने या अपराधियों की मदद करने की सूचना हो उनका शस्त्र तुरत जमा कर लिया जायेगा एवं अनुज्ञप्ति रद्द कराने हेतु कार्रवाई की जायेगी ।

7. कुख्यात उग्रवादियों को पकड़ने एवं कुख्यात गिरोहों को नष्टकरने के उद्देश्यों से एक विशेष टास्क फोर्स का गठन करने का निर्णय लिया गया है जिनमें कुल 15 दस्ते होंगे । प्रत्येक दस्ते में आरक्षी उपाधीक्षक के नेतृत्व में कुल 40 प्रशिक्षित एवं आधुनिक हथियारों से सुसज्जित बल होंगे । इसके अतिरिक्त चिन्हित कुख्यात अपराधियों को पकड़ने हेतु खोजी दस्ते लगाये गये हैं ।

8. राज्य सरकार ने दो इंडिया रिजर्व बटालियन के गठन की स्वीकृति दी है तथा केन्द्र सरकार से तीन अतिरिक्त इंडिया रिजर्व बटालियन की भी स्वीकृति देने का अनुरोध किया है ।

9. दिनांक 27.5.99 को गृह मंत्रालय, भारत सरकार एवं राज्य सरकार के पदाधिकारियों के बीच हुए विमर्श के आलोक में अर्द्धसैनिक बलों की कुल 50

..../-

कंपनियां राज्य सरकार को लगातार एक वर्ष तक उपलब्ध कराने के लिए मुख्य मंत्री ने प्रधान मंत्री को 20 जून, 2000 को पत्र लिखा है ।

10. वर्तमान वित्तीय वर्ष में राज्य सरकार ने 1500 एस0एल0आर0 584 ए0के0 47 एवं 200 ए0के0 56, राईफल एवं कारतूस आवंटित करने का अनुरोध गृह मंत्रालय से किया है । मुख्य मंत्री ने भी प्रधान मंत्री को दिनांक 20 जून, 2000 को लिखे गये पत्र में इसके लिये अनुरोध कियाहै ।

11. नरसंहारों एवं अपराध पर नियंत्रण पर विचार हेतु मुख्य मंत्री ने दिनांक 22. 5. 2000 एवं 22. 6. 2000 को सभीराजनैतिक दलों के नेताओं की सर्वदलीय बैठकें पटना में बुलायीं ताकि सभी राजनैतिक दलों को विश्वास में ले कर कार्रवाई की जाय । बैठक में बहुत से महत्वपूर्ण सुझाव आये हैं जिस पर सरकार कार्रवाई कर रही है ।

श्री मृगेन्द्र प्रताप सिंह: अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि एम0सी0सी0 का केन्द्रीय स्तर पर दस प्रांतों में इनका कार्य हो रहा है और अठारह राज्यों में इनकी टीम कार्य कर रही है क्या ? मंत्री महोदय को पता है कि बिहार में इनकी टीम छोटानागपुर में कितने जगहों पर काम कर रही है और अन्य इलाकों में कितने जगहों पर काम कर रही है ?

अध्यक्ष : मृगेन्द्र बाबू, पहले एक प्रश्न का उत्तर हो जाने दीजिये तब दूसरा प्रश्न पूछियेगा। इसके बाद आप दो प्रश्न और पूछ सकते हैं। अब समय भी होने वाला है।

श्री जगदानन्द सिंह (मंत्री) : महोदय, बिहार के कितने जिलों में ये काम कर रहे हैं, यह पूर्व में भी मैंने बताया। कुल 18 जिलों के एरिया में इनका ऑपरेशन हो चुका है, कहीं पर छिटपुट और कहीं पर सघन कार्रवाई हुई है।

श्री मृगेन्द्र प्रताप सिंह : अध्यक्ष महोदय, क्या माननीय मंत्री को यह पता है कि अभी तत्काल एम0सी0सी0 ने 6 शहरों और 4 गाँवों में अपनी कार्रवाई को कार्यरूप देने की योजना बनायी है जिसमें एक शहर गया शहर भी है।

श्री जगदानन्द सिंह (मंत्री) : महोदय, जिन इलाकों में एम0सी0सी0 सक्रिय है, उसमें गया शहर भी आता है। माननीय सदस्य के क्वेश्चन के दूसरे अंश में हमने कहा कि उत्तर अस्वीकारात्मक है। सरकार को ऐसी कोई सूचना प्राप्त नहीं है। लेकिन इसी शहर और इसी जगह पर अपना ऑपरेशन करने के लिये उनकी तैयारी है, इस तरह की सूचना अभी सरकार के पास नहीं है लेकिन जिस गया शहर की बात माननीय सदस्य कर रहे हैं वह उस जिला का मुख्यालय है जहाँ पर का एरिया भी इन घटनाओं में आता है।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, अब आप तीसरा और अपना आखिरी प्रश्न पूछिये।

श्री मृगेन्द्र प्रताप सिंह : अध्यक्ष महोदय, क्या मंत्री जी को यह पता है कि सियाँपुर की हत्याकांड के बाद एम0सी0सी0 ने 500 लोगों की हत्या करने की योजना बनायी है ?

श्री जगदानन्द सिंह (मंत्री) : महोदय, सरकार को पता नहीं है लेकिन माननीय सदस्य को इसमें कोई अलग से जानकारी है तो आप हमें दें, हम उसपर अलग से भी कार्रवाई करेंगे। आप सरकार को सहयोग कीजिये।

श्री मृगेन्द्र प्रताप सिंह : महोदय, यह सूचना समाचार-पत्र में भी प्रकाशित है और सरकार को समाचार-पत्रों में प्रकाशित खबर पर विचार करना चाहिये। मैंने अखबार

में प्रकाशित समाचार के आलोक में प्रश्न उठाया है, इसपर भी सरकार को कार्रवाई करनी चाहिये ।

श्री जगदानन्द सिंह (मंत्री) : महोदय, अखबार में निकली हुई बात और माननीय सदस्य के द्वारा यहाँ यह बात सामने लायी गयी है लेकिन सरकार को यह सूचना नहीं है, अधिकारिक रूप से, कि वे यहीं बैठे और यहीं तय किया ।

श्री जगदीश शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मेरा भी एक प्रश्न है । महोदय, माननीय मंत्री जी ने स्पेशल टास्क फोर्स बनाने की बात कही । महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहता हूँ कि क्या स्पेशल टास्क फोर्स बनाने की अधिसूचना निर्गत हो गयी ?

श्री जगदानन्द सिंह (मंत्री) : नहीं, महोदय । अभी सूचना नहीं निर्गत हुआ है लेकिन यह सरकार का नीति विषयक फैसला है और इसके प्रति सरकार जागरूक है और कार्रवाई हो रही है ।

श्री सुशील कुमार मोदी (नेता, विरोधी-दल) : महोदय, एक महीना पहले यह बात हुई और अभी तक वह अधिसूचना निर्गत नहीं हुआ है । इससे यह पता चलता है कि इसके प्रति सरकार कितना गम्भीर है ।

अध्यक्ष : मोदी जी, अब इसमें हो गया । आप बैठ जाइये । ।

तारांकित प्रश्न संख्या- 1063 । इस प्रश्न को समयाभाव के कारण अगली तिथि के लिये मैं स्थगित करता हूँ । अब प्रश्नोत्तर काल समाप्त हुआ । जिन प्रश्नों के उत्तर उपलब्ध हों, उन्हें सभा-पटल पर रख दिया जाय ।

(प्रश्नोत्तर-काल समाप्त)